UPSH050009132022

न्यायालयः सिविल जज (सीनियर डिविजन), शाहजहाँपुर।

योगेन्द्र पाल जलौटा बनाम जनसाधारण

प्रकीर्ण वाद संख्या– 333/2022

सम्बन्धित उत्तराधिकार वाद संख्या– 180/2020

(CNR No.- UPSH050009132022)

दिनांक– 21.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थीगण उपस्थिति। प्रार्थनापत्र 3 ग पर सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थीगण का कथन है कि उत्तराधिकार वाद संख्या 180/2020 में प्रार्थीगण के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश 09.11.2021 को पारित किया है। प्रार्थी संख्या 1 सरकारी सेवा में है तथा छूट्टी न मिलने के कारण अपना उत्तराधिकार प्रामाणपत्र जारी नहीं करवा सका और पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गयी। प्रार्थीगण द्वारा यह याचना की गयी है कि उत्ताराधिकार वाद संख्या 180/2020 योगेन्द्र पाल जलोटा बनाम जनसाधारण की पत्रावली को तलब कर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

पत्रावली व मूल पत्रावली उत्ताराधिकार वाद संख्या 180/2020 योगेन्द्र पाल जलोटा बनाम जनसाधारण का अवलोकन किया।

मूल पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उत्ताराधिकार वाद संख्या 180/2020 योगेन्द्र पाल जलोटा बनाम जनसाधारण में दिनांक 09.11.2021 को आदेश पारित किया गया तथा प्रार्थनापत्र 3 ग में वर्णित धनराशि के बाबत सम्बन्धित बैंक/कार्यालय से आख्या मंगाने के उपरान्त उस पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायशुल्क जमा किये जाने तथा शपथपत्र प्रस्तुत करने पर उनके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश पारित किया गया। उक्त उत्ताराधिकार वाद में प्रार्थीगण द्वारा न्यायशुल्क नहीं दाखिल किये जाने के कारण उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र 3 ग न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3 ग न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीदण नियमानुसार न्यायशुल्क अविलम्ब जमा करें। बाद अदायगी न्यायशुल्क, नियमानुसार पूर्वादेश दिनांकित 09.11.2021 के अनुक्रम में प्रार्थीगण के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किया जाए। तत्पश्चात पत्रावली मय मूल पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

सिविल जज (सीनियर डिविजन),
शाहजहाँपुर।
(J.O. Code- UP2060)